न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांक:– 43/अ–59/2017–18/ 1381 बैतूल दिनांक 07/ 02/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत कढ़ई जनपद पंचायत बैतूल द्वारा, ग्राम सोनाघाटी में आवासीय पट्टे वितरित किए जाने के लिए मौजा सोनाघाटी पटवारी हल्का नंबर 14 रा0 नि0 मं0 खेड़ीसॉवलीगढ़ तहसील व जिला बैतूल स्थित खसरा नंबर 137/1 रकबा 19.660 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 0.800 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव तहसीलदार बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2– ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव के आधार पर नायब तहसीलदार (खेड़ी सॉवलीगढ़ वृत्त) बैतूल द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:–

(1)– मौजा सोनाघाटी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 137/1 रकबा 20.170 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 0.800 हेक्टेयर भूमि की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– दिनांक 2–10–2017 को आयोजित ग्रामसभा में मौजा सोनाघाटी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 137/1 रकबा 20.170 हेक्टेयर पहाड़ चट्टान में से 0.800 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

(3)– राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017–18 के अनुसार मौजा सोनाघाटी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 137/1 रकबा 20.170 हेक्टेयर भूमि पहाड़ चट्टान मद मे दर्ज है।

(4)– उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर नायब तहसीलदार(खेड़ी सॉवलीगढ़ वृत्त) बैतूल /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल द्वारा मौजा सोनाघाटी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 137/1 रकबा 20.170 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 0.800 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237 (1) (ट) के अनुसार कलेक्टर दखल रहित भूमि को किन्ही अन्य प्रयोजनो लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाए, पृथक रख सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक–1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांक:– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल (म.प्र.)

4— प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार (खेड़ी सॉवलीगढ़ वृत्त) बैतूल/ अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा सोनाघाटी प. ह. नं. 14 तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 137/1 रकबा 20.170 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 0.800 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

पृ0क्र0:—42/अ—59/2017—18/ 1381 बैतूल दिनांक 07/02/2018

प्रतिलिपि:—

1— अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल की ओर सूचनार्थ।

2— नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ी सॉवलीगढ़ वृत्त)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4— जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5— सचिव ग्राम पंचायत कढ़ई जनपद पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

upd 12/2/18

8/2/18